

पच्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

करण संख्या - 374/2024

नवान :

1. सुखजीत सिंह पुत्र बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गुरचरणसिंह पुत्र मलूकसिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. बलजीत सिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. किरणदीप कौर पुत्री बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद वर्मा :-वादी

2 अधिवक्ता श्री सुभाष गर्ग :-प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 28/11/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीया श्री महावीर प्रसाद वर्मा व करनैलसिंह अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 गुरचरण सिंह पुत्र मलूकसिंह के नाम से चक नंम्बर 1 एस.आर डबल्यू खाता संख्या 91/70 में कुल 3.718 हैक्टेयर कृषि भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नंम्बर 1 एस.आर डबल्यू खाता संख्या 91/70 में से प्रतिवादी सं० 1 गुरचरण सिंह का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के वाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पच्चा डिक्री आज दिनांक 28/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



28
(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
टिब्बी

